न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–41/2022

1. राजकुमार पुत्र रामानन्द जाति निवासी लुदीखुबा तहः राजगढ़ जिला चुरू।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री इमीचंद गोदारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश **दिनांक :– ....**

यह प्रार्थी का प्रार्थनापत्र तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट उपरान्त न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है मुझ प्रार्थी के पिता रामानन्द पुत्र पालाराम जाति नायक निवासी लुदीखुबा तहसील राजगढ़ जिला चुरू के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला के चक 3 एमजीडब्ल्युएम सीएडी के मु0नं0 99/08 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.01960 है0 कमाण्ड कृषि भूमि दिनांक 24.03. 1976 को आवंटन अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त रा.न.यो. पुगल मुकाम बीकानेर द्वारा पुख्ता आवंटन की थी। जिसका राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण संख्या 20 दिनांक 28.09.1996 को उपनिवेशन तहसीलदार ई.गा.न.प. पुगल द्वारा स्वीकृत किया गया था। जिसमें सहवन से मेरे पिता का नाम रामचन्द पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी लुदीखुबा रामगढ़ पुख्ता आवंटन दर्ज हो गया था जोकि गलत है मेरे पिता का सही नाम रामानन्द पुत्र पालाराम जाति नायक निवासी लुदीखुबा तहसील राजगढ़ है तथा मुझ प्रार्थी के पिता का देहान्त दिनांक 15.04.2015 को हो चुका है तो मैं प्रार्थी शपथपत्र एवं मृत्यु प्रमाणपत्र व कुर्सीनामा के आधार पर मेरे पिता के जायज वारिसान के नाम विरासतन नामान्तकरण दर्ज करवाना चाहता हूँ परन्तु वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मेरे पिता व दादा का नाम गलत है इसलिए मैं मेरे पिता का सही नाम रामानन्द पुत्र पालाराम जाति नायक निवासी लुदीखुबा तहसील राजगढ़ की राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धी करवाना चाहता हूँ। प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में अंकित नाम रामचन्द पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी लुदीखुबा तहसील राजगढ़ के स्थान पर सही नाम रामानन्द पुत्र पालाराम जाति नायक निवासी लुदीखुबा तहसील राजगढ़ दुरस्त करवाने की इस्तदुवा चाही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:03:52 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र में वर्णित कथन को साबित करने के लिए साक्ष्य/सबूत के तौर पर मूल आवंटन पत्रावली प्रमाणित प्रति, प्रथम नामान्तकरण प्रमाणित प्रति, गिरदावरी वर्ष (सम्वत् 2054–57, 2058–2061, 2063–2066), विरासतन इंतकाल पुष्टि बाबत् तहसीलदार खाजूवाला का पत्र रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र, ग्रा.प. गुलपुरा खुर्शीनामा, सहहिस्सेदारों का सहमति बाबत् शपथपत्र, वारिसनामा स्टाम्प पर, ग्रा.प. की नाम बाबत् तस्दीक, तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट प्रस्तुत जो कि पत्रावली में प्रदर्श 1 से 16 तक शामिल पत्रावली किये गये।

प्रार्थी द्वारा मूल आवंटन पत्रावली की फर्द अहकाम, आवेदन पत्र, शपथपत्र, तहसीलदार राजगढ़ का फोटो फॉर्म तस्दीक जो प्रदर्श 1 ता 4 अंकित है पर प्रार्थी के पिता व दादा का नाम रामानन्द पुत्र पालाराम जाति नायक निवासी लुदीखुबा तहः राजगढ़ अंकित है जो कि सही दर्ज था । आवंटन आदेश जो कि पत्रावली में प्रदर्श 5 है उसमें प्रार्थी के पिता व दादा का नाम रामचंद पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी लुदीखुबा तहः राजगढ़ अंकित है तथा आवंटन का प्रथम इंतकाल नोट में रामचंद पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी लुठीलुणा तहः राजगढ़ अंकित है और बाद की खसरा गिरदावरी में भी यही नाम अंकित है। जबकि प्रदर्श 9 से 15 में भी रामानन्द पुत्र पालाराम जाति नायक निवासी लुदीखुबा तहः राजगढ़ अंकित है। उक्त रकबा में आवंटी के पिता,दादा व गांव का नाम रामचन्द पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी लुठीलुणा तहः राजगढ़ जो कि आज की जमाबंदी में अंकित है जो सहवन से दर्ज हुये है जिसको प्रदर्श 1 ता 4 व 9 से 15 साबित करते हैं। इसलिए सही नाम दर्ज किया जाना उचित है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई जिसमें उन्होने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेज (प्रदर्श) के आधार पर स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि मूल आवंटन पत्रावली की फर्द अहकाम आदेशिका के बाद आवंटन आदेश जारी होते वक्त उक्त आवंटन आदेश में प्रार्थी के पिता–दादा का नाम सहवन से गलत अंकित हो गया जिसके बाद लगातार आगे से आगे खसरा गिरदावरियों व अन्य राजस्व रिकॉर्ड दस्तावेजों में गलत नाम दर्ज होता रहा जो कि आज की जमाबंदी में है तथा गांव का नाम लुदीखुबा प्रदर्श 1 ता 5 अनुसार सही है लेकिन आवंटन का प्रथम नामान्तकरण दर्ज करते वक्त गलत नाम लुठीलुणा हो गया जो बाद में लगातार राजस्व रिकॉर्ड आगे से आगे गलत दर्ज होता रहा है जो आज की जमाबंदी में है।

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो (प्रदर्श 1–16) का गहनता से अवलोकन किया और प्रदर्श 1 ता 5 व 9 से 15 प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं कि प्रार्थी के पिता, दादा व गांव के नाम रामानन्द पुत्र पालाराम जाति नायक निवासी लुदीखुबा की जगह रामचन्द पुत्र मालाराम जाति नायक गांव लुठीलुणा तहः राजगढ़ सहवन से गलत दर्ज हुआ है जो केवल लिपिकीय त्रुटि है जिसे दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:03:52 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता, दादा व गांव का नाम

रामचन्द पुत्र मालाराम जाति नायक गांव लुठीलुणा तहः राजगढ़ की जगह रामानन्द पुत्र पालाराम जाति नायक निवासी लुदीखुबा तहः राजगढ़ नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेशित की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:03:52 IST
Reason: SelfAttested